राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक :प.17(1)नविवि/अभियान/2021 जयपुर दिनांक: 21 APR 2022

आदेश
(कृषि भूमि की कॉलोनियां बाबत्)

अभियान 'शहर–2021 के अन्तर्गत कृषि भूमि की कॉलोनियों में पट्टे देने के संबंध में समीक्षा उपरान्त निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते है :–

1. ले–आउट प्लान के तकनीकी परिक्षण के संबंध में:–

कृषि भूमि पर बसी हुई कॉलोनिया जिनके सुओ–मोटो सर्वे, 90–ए एवं ले–आउट प्लान तैयार कर यदि निकाय में वरिष्ठ/उप/सहायक नगर नियोजक कार्यरत नहीं है तो निकाय में कार्यरत वरिष्ठतम अभियन्ता व कार्यरत वरिष्ठतम नगर नियोजक (नगर नियोजक सहायक/वरिष्ठ प्रारूपकार/कनिष्ठ प्रारूपकार) तकनीकी परीक्षण हेतु अधिकृत होगें। इन तकनीकी अधिकारियों में से किसी को भी निकाय के मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा ले–आउट प्लान का परीक्षण करवाये जाने हेतु अधिकृत किया जा सकेगा तथा परीक्षण उपरान्त एम्पावर्ड कमेटी द्वारा ले–आउट प्लान स्वीकृति किए जा सकेंगे।

2. कृषि भूमि पर खातेदार को पट्टा देने के संबंध में :–

राज्य के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में स्थित कृषकों/खातेदारों द्वारा अपनी कृषि भूमि पर आवास बनाने हेतु पट्टा प्राप्त किया जा सकेगा। इस हेतु संबंधित खातेदार को आवास हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–ए के अन्तर्गत आवेदन कर उतनी भूमि के खातेदारी अधिकार समर्पित कर राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु अनुज्ञा व आवंटन) नियम, 2012 के तहत् निर्धारित किये गये शुल्क (प्रीमियम राशि, लीज राशि) देकर पट्टा प्राप्त किया जा सकेगा।

मास्टर प्लान की नगरीय सीमा में प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर खातेदार की स्वयं की भूमि पर पट्टा दिया जाना अनुज्ञेय होगा। इस हेतु अलग से ले–आउट प्लान अनुमोदन करने की आवश्यकता नही होगी। जब कभी भी उक्त क्षेत्र का ले–आउट प्लान स्वीकृत किया जावेगा तब सड़कों का निर्धारण कर खातेदार को दिये गये पट्टे को समायोजित किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(डॉ. जोगाराम)
शासन सचिव
स्वायत शासन विभाग

(कुंजीलाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :प.17(1)नविवि/अभियान/2021 जयपुर दिनांक: 21 APR 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
8. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
9. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
10. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
11. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद्/पालिका समस्त राजस्थान।
12. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
13. सचिव, नगरीय विकास विभाग, समस्त राजस्थान।
14. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम